बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना

अ धि सू च ना

सं०सं०- 14/डी.एल.ए (पावरग्रिड)-शिवहर-138/2013- 2054 /रा0 पटना दिनांक– 23-08-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि ग्राम विशुनपुर मानसिंह, थाना नं0–150 राजस्व थाना--शिवहर, परगना शिवहर, अंचल–शिवहर, थाना–शिवरह ,जिला--शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात पावरग्रीड निर्माण हेतु के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–विशुनपुर मानसिंह, के अंदर 7.00 एकड भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश बी0/क0/धूर है, जो 7.00 एकड के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:–

खेसरा संख्या–362 पूर्ण, 361 पूर्ण, 319 पूर्ण, 320 पूर्ण, 321 अंश, 324 अंश, 325 पूर्ण, 333 अंश, 357 पूर्ण, 358 पूर्ण, 356 पूर्ण, 330 पूर्ण, 329 पूर्ण, 326 पूर्ण, 332 अंश, 327 पूर्ण, 331 अंश, 360 पूर्ण, 359 पूर्ण, 328 पूर्ण, 355 पूर्ण,

थाना नं0–150 विशुनपुर मानसिंह का चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर रास्ता, एवं खेसरा नं0–363, 359, 365 एवं 352

दक्षिण खेसरा नं0–341, 342

पूरब--खेसरा नं0–354, 353

पश्चिम– खेसर नं0–317, 318, 321, 324, 333, एवं 332

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 (बिहार अधिनियम--2 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 7.00 एकड भूमि योग्य है तथा तुरंत अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होगें।

बिहार राजयपाल के आदेश से।

ह०

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर। | अपर समाहर्ता शिवहर। | समाहर्ता, शिवहर। | सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:– /भू0अ0 शिवहर- 2054/ रा0 दिनांक– 23/08/13 शिवहर जुलाई 2013 ई0।

प्रतिलिपि:–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राजयपाल के आदेश से।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर। | अपर समाहर्ता शिवहर। | समाहर्ता, शिवहर। | सरकार के अवर सचिव,